R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड IX ◆ अंक 9
मार्च 2013

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो/सीमांत स्थायी सुविधा दरें

रिपो दर

चलनिधि समायोजन सुविधा (एएलएफ) के अंतर्गत रिपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करते हुए इसे 19 मार्च 2013 से 7.75 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत किया गया है।

प्रत्यावर्तनीय रिपो दर

रिपो दर में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 19 मार्च 2013 से 6.50 प्रतिशत पर स्वतः समायोजित हो गई।

सीमांत स्थायी सुविधा

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 19 मार्च 2013 से स्वतः समायोजित होते हुए 8.50 प्रतिशत हो गई है।

बैंक दर

बैंक दर 19 मार्च 2013 से 25 आधार अंकों से समायोजित होते हुए 8.75 प्रतिशत से 8.50 प्रतिशत हो गई है। आरक्षित निधि की आवश्यकता में कमी आने पर सभी दण्डात्मक ब्याज दरें जो विशेष रूप से बैंक दर से जुड़ी हैं वे भी निम्नानुसार संशोधित की गई है:

मद	वर्तमान दर	संशोधित दर (19 मार्च 2013 से प्रभावी)
आरक्षित निधि की आवश्यकता में कमी आने पर दण्डात्मक ब्याज दर (कमी की अवधि के आधार पर)	बैंक दर और अधिक (+) 3.0 प्रतिशत अंक (11.75 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और अधिक (+) 5.0 प्रतिशत अंक (13.75 प्रतिशत)	बैंक दर और अधिक (+) 3.0 प्रतिशत अंक (11.50 प्रतिशत) अथवा बैंक दर और अधिक (+) 5.0 प्रतिशत अंक (13.50 प्रतिशत)

बैंकों / प्राधिकृत व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं

रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) और विशेष निर्यात ऋण पुनर्वित्त (एसईसीआर) के अंतर्गत तथा प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) (संपार्श्वीकृत चलनिधि सहायता) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई स्थायी चलनिधि सुविधाओं पर लागू ब्याज दर 19 मार्च 2013 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 7.50 प्रतिशत होगी।

कृषि ऋण माफी योजना की कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 की कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा किए जाने के अनुपालन में नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के गंभीर स्वरूप को देखते हुए अन्य बातों के साथ साथ भारत सरकार चाहती है कि :

- लाभार्थियों की सूची का संपूर्ण सत्यापन करने की जरुरत है, इसमें ऋण ग्रस्तता जहां उच्च स्तर की हो उसे प्राथमिकता दी जाए।
- दावों के सत्यापन, प्रमाणन अथवा दावा पारित करने के उत्तरदायी अधिकारियों, आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रशासनिक/लेखांकन त्रुटियों के लिए जवाब देही शीघ्र तथा बिना किसी अपवाद के निर्धारित की जाए।
- अपात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के मामलों पर उच्च प्राथमिकता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए और राजकोष को कोई हानि न होना सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार संपूर्ण वसूली की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना संस्थागत प्रमुखों का निजी दायित्व होगा कि ऐसी वसूलियां संपूर्ण रूप से की जाती है।
- रिकार्डों में हेराफेरी अथवा बदलाव आदि के मामलों की पहचान की जानी चाहिए और इसकी संवीक्षा उच्च प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। ऐसे प्रत्येक मामले में कार्रवाई वाले आदेश के रूप में निर्णय लिया जाना चाहिए। इसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कानून की संबंधित धारा के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर संबंधित संस्थाओं के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखनी चाहिए।
- सभी पात्र मामलों में ऋण माफी/ऋण राहत प्रमाणपत्र तत्काल जारी किए जाने चाहिए और ऐसे जारी प्रमाणपत्रों का रिकार्ड निरीक्षण के लिए तैयार रखा जाना चाहिए।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
रिपो/प्रत्यावर्तनीय रिपो/सीमांत स्थायी सुविधा दरें	1
बैंक दर	1
बैंकों / प्राधिकृत व्यापारियों के लिए स्थायी चलनिधि सुविधाएं	1
कृषि ऋण माफी योजना की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा	1
भुगतान प्रणाली	
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन	2
सीटीएस 2010 मानकों को अपनाना	3
फेमा	
वसूल न हुए निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालना	3
सूचना	
निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए	4

- ऐसे पात्र लाभार्थियों जिन्हें लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं, की सूची भी बना ली जाए और इसकी गुणात्मक दृष्टि से जांच की जाए ताकि इंकार किए जाने के उक्त मामलों के कारण प्राप्त हो सकें। ऐसे सभी मामलों में जहां कदाशयता अथवा लापरवाही की संभावना प्रतीत होती है, कार्रवाई प्रारंभ की जानी चाहिए।

भुगतान प्रणाली

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि साइबर हमले और अधिक अप्रत्याशित होने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के दुरुपयोग के नए-नए तरीकों से असुरक्षित होने के चलते यह अनिवार्य हो जाता है कि बैंक ऐसे हमलों के प्रभावों को कम करने और नुकसान न होने देने/कम करने के लिए कतिपय न्यूनतम नियंत्रण और रक्षोपाय लागू करें। तदनुसार, सुरक्षा और जोखिम नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया है:

कार्ड भुगतान लेनदेन को सुरक्षित करना

- सभी नए डेबिट और क्रेडिट कार्डों को केवल घरेलू उपयोग के लिए ही जारी किया जाए जब तक कि ग्राहक द्वारा इसके अंतरराष्ट्रीय उपयोग के लिए विशेष रूप से मांग न की जाए। ऐसे कार्ड जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किए जाने हेतु सक्षम होंगे उन्हें अनिवार्य रूप से ईएमवी चिप और पिन समर्थित होना होगा;
- जारीकर्ता बैंकों को उन सभी ग्राहकों के सभी मौजूदा मैगस्ट्रिप कार्डों के बदले ईएमवी चिप कार्ड प्रदान करने चाहिए जिन्होंने अपने कार्ड का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम एक बार किया है (ई-कामर्स/एटीएम/पीओएस के माध्यम से/के लिए);
- बैंकों द्वारा जारी किए गए सभी सक्रिय मैगस्ट्रिप अंतर्राष्ट्रीय कार्डों की अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिए। यह सीमा ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर और ग्राहक द्वारा स्वीकार की गई सीमा के आधार पर बैंकों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। जब तक यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक ऐसे सभी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जिनसे पूर्व में अंतरराष्ट्रीय लेनदेन नहीं किया गया है के संबंध में सर्वग्राही सीमा (उदाहरणार्थ 500 अमरीकी डालर से अधिक नहीं) लागू की जाए जोकि प्रत्येक बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्ड से भुगतान प्राप्त करने के लिए व्यापारियों के यहाँ लगाए गए टर्मिनलों (दो बार स्वाइप करने वाले टर्मिनलों सहित) को पीसीआई-डीएसएस (भुगतान कार्ड उद्योग-डाटा सुरक्षा मानक) और पीए-डीएसएस (पेमेंट एप्लीकेशन्स-डाटा सुरक्षा मानक) के संबंध में प्रमाणित किया गया हो;
- धोखाधड़ी रोकने के लिए ग्राहकों द्वारा कार्डों के उपयोग के लेनदेन के पैटर्न के आधार पर प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क के साथ समन्वय करके नियम बनाने चाहिए। यह धोखाधड़ी की रोकथाम के उपाय के रूप में कार्य करेगा;
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिग्राहक बुनियादी ढांचा जो कि वर्तमान में आईपी (इंटरनेट प्रोटोकॉल) आधारित सल्यूशन्स पर परिचालित किये जाते हैं उसे अनिवार्य रूप से पीसीआई-डीएसएस (भुगतान कार्ड उद्योग-डाटा सुरक्षा मानक) और पीए-डीएसएस (पेमेंट एप्लीकेशन्स-डाटा सुरक्षा मानक) प्रमाणीकरण प्राप्त होना चाहिए। इसमें अधिग्राहक, प्रोसेसर/एग्रीगेटर और बड़े व्यापारी शामिल होने चाहिए;
- जल्द से जल्द वास्तविक समय धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए;
- ग्राहक को अपना कार्ड ब्लॉक करने के लिए आसान तरीके (एसएमएस जैसे) उपलब्ध कराने चाहिए और कार्ड ब्लॉक करने के बाद इस संबंध में इसकी पुष्टि भी दी जानी चाहिए;
- ऐसी प्रणाली अपनाई जाए जिसमें भारत में जारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर (विदेशों में स्थित बैंकों द्वारा अधिग्रहीत लेनदेन) इस्तेमाल किए जाने वाले कार्डों के प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक लागू करने की सुविधा हो;
- कार्ड भुगतान नेटवर्क के सहयोग से कॉल निर्दिष्ट करने की प्रणाली बनाई जाए।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन को सुरक्षित बनाना

बैंकों को भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसेकि आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय भी निम्न प्रकार लागू करने चाहिए:

- लेनदेनों/लाभार्थियों के मूल्य/मोड की सीमा निर्धारित करने के लिए ग्राहक द्वारा बताए गए विकल्पों को उपलब्ध कराया जाए। यदि ग्राहक सीमा को बढ़ाना चाहता है तो उससे अतिरिक्त प्राधिकरण देने पर जोर दिया जाना चाहिए।
- प्रत्येक खाते में एक दिन में जोड़े जा सकने वाले लाभार्थियों की संख्या सीमित रखी जाए।
- जब एक लाभार्थी जोड़ा जाता है तो चेतावनी देने की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।
- प्रति दिन/प्रति लाभार्थी लेनदेन की संख्या के संबंध में गति की जांच करने के लिए एक व्यवस्था रखी जाए और किसी भी संदिग्ध लेनदेन की चेतावनी बैंक में और ग्राहक को मिल जानी चाहिए।
- प्रमाणीकरण (प्रमुखतः गतिशील प्रकृति वाले) के अतिरिक्त कारक लागू किए जाए।
- सभी ग्राहकों के लिए बड़े मूल्य के भुगतानों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर लागू किए जाए, आरटीजीएस लेनदेनों के लिए इसकी शुरुआत की जा सकती है।
- अतिरिक्त सत्यापन जाँच के रूप में इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पता प्राप्त किया जाए।
- केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों में बैंकों की उप-सदस्यता ने ऐसे उप-सदस्यों के ग्राहकों द्वारा इसका लाभ उठाना संभव बना दिया है। उप सदस्यों को स्वीकार करने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उप सदस्यों द्वारा किए गए सुरक्षा उपाय उनके द्वारा पालन किए जा रहे मानकों के अनुरूप हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और प्रतिष्ठा जोखिम को कम किया जा सके।
- धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए नई प्रौद्योगिकी जैसे कि, अंगीकरण अधिप्रमाणन इत्यादि को लागू करने की संभावना का पता लगाया जाए।

बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे इन सुरक्षा उपायों को 30 जून, 2013 तक लागू करेंगे।

रिज़र्व बैंक मॉनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू के स्वामित्व और अन्य ब्यौरों का विवरण

फार्म IV

1.	प्रकाशन का स्थान	: मुंबई
2.	प्रकाशन की अवधि	: मासिक
3.	संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम, राष्ट्रीयता और पता	: अल्पना किल्लावाला : भारतीय भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई-400001
4.	उन व्यक्तियों के नाम और पते जो पत्र के मालिक हैं	: भारतीय रिज़र्व बैंक संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई-400001

मैं, अल्पना किल्लावाला, इसके द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

(ह/-)
अल्पना किल्लावाला
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक : 1 मार्च 2013

सीटीएस 2010 मानकों को अपनाना

बैंकों द्वारा सीटीएस 2010 मानक चेकों को अपनाने के संबंध में अब तक हुई प्रगति और कुछ बैंकों और भारतीय बैंक संघ के साथ परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2013 की अंतिम तारीख के पश्चात अवशिष्ट गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों के समाशोधन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जाए:

- बैंकों द्वारा 18 मार्च 2013 से जारी किये गये सभी चेक (डीडी/पीओ सहित) अनिवार्य रूप से सीटीएस 2010 मानक के अनुरूप होने चाहिए।
- बैंक अपने बचत बैंक खाता ग्राहकों से सीटीएस 2010 मानकों के अनुरूप चेक जारी करने के लिए पहली बार शुल्क नहीं लेंगे। तथापि, बैंक अपनी स्वीकृत उचित व्यवहार संहिता के अनुसार अतिरिक्त चेक जारी करने के लिए चेक बुक जारी करने के संबंध में मौजूदा नीति का पालन करना जारी रख सकते हैं।
- ग्राहकों के पास उपलब्ध सभी अवशिष्ट गैर-सीटीएस 2010 चेक जून 2013 में समीक्षा के अधीन चार महीनों के लिए अर्थात 31 जुलाई 2013 तक वैध होंगे और चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) केन्द्रों सहित सभी समाशोधन गृहों में स्वीकार किए जाएंगे।
- चेक जारी करने वाले बैंकों को एसएमएस अलर्ट, पत्रों, शाखाओं / एटीएम पर डिस्प्ले बोर्डों, इंटरनेट बैंकिंग में लॉग ऑन मैसेज और वेबसाइट पर अधिसूचना आदि के माध्यम से ग्राहकों के बीच जागरूकता लाते हुए 31 जुलाई 2013 तक बढ़ाई गई समय सीमा से पहले परिचालनरत गैर- सीटीएस 2010 मानक चेकों को वापस लेने के किए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
- इस संबंध में रिज़र्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग को निर्धारित फॉर्मेट में एक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि बैंकों द्वारा सीटीएस 2010 मानक चेकों को अपनाने के संबंध में की गई प्रगति पर निगरानी रखी जा सके।
- इसके अतिरिक्त, सीटीएस 2010/गैर-सीटीएस 2010 मानक चेकों के संबंध में चेक संसाधन केन्द्रों में संसाधित आवक समाशोधन लिखतों की बैंक-वार मात्रा पर निगरानी रखी जाएगी।
- ऋण देने वाले बैंकों को ऐसे स्थानों पर जहां ईसीएस/आरईसीएस (डेबिट) की सुविधा उपलब्ध है, वहां नए पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)/ समानीकृत मासिक किस्त (ईएमआई) चेक (पुराने स्वरूप या नए सीटीएस 2010 मानक प्रारूप में) स्वीकार नहीं करने चाहिए। ऐसे स्थानों पर ऋण देने वाले बैंकों को मौजूदा पोस्ट डेटेड चेकों (पीडीसी) को उधारकर्ताओं द्वारा नए मैंडेट प्राप्त कर ईसीएस/आरईसीएस (डेबिट) में परिवर्तित करने के सभी प्रयास करने चाहिए।

फेमा

वसूल न हुए निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालना

सभी निर्यातकों के साथ-साथ प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को इस बाबत लचीलापन उपलब्ध कराने के लिए इस क्रियाविधि को और सरल बनाने व उदारीकृत करने के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने वसूल न हुए निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में अपने अनुदेशों की समीक्षा की है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 'वसूल न हुए निर्यात बिलों' को "बट्टे खाते में डालने" से संबंधित सीमाओं को निम्नवत उदार बनाया जाए:

बट्टे खाते	प्रतिशत
निर्यातक द्वारा स्वयं "बट्टे खाते में डालना" (स्टेटस होल्डर निर्यातक से भिन्न)	5*
स्टेटस होल्डर निर्यातकों द्वारा स्वयं "बट्टे खाते में डालना"	10*
प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा "बट्टे खाते में डालना"	10*
* पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान वसूल किए गए कुल निर्यात प्राप्य राशि का।	

उल्लिखित सीमाएं पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान वसूल की गयी कुल निर्यात राशियों से संबद्ध होंगी और वर्ष में संचयी रूप से उपलब्ध होंगी।

उपर्युक्त "बट्टे खाते में डालना" निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(ए) संबंधित राशि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया रही है;

(बी) प्राप्य राशियों की वसूली के लिए निर्यातक द्वारा किए गए समस्त प्रयासों के समर्थन में संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं;

(सी) निम्नलिखित किसी भी श्रेणी में आने वाले मामले:

(i) विदेशी क्रेता को दीवालिया घोषित किया गया है और शासकीय परिसमापन प्राधिकरण से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है कि निर्यात प्राप्यों की वसूली की कोई संभावना नहीं है।

(ii) विदेशी क्रेता का काफी समय से पता नहीं लग पा रहा है।

(iii) आयातित देश में बंदरगाह/सीमाशुल्क/स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्यातित माल नीलाम अथवा नष्ट कर दिया गया है।

(iv) वसूल न हुई राशि का भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक विदेशी चैम्बर अथवा उसी प्रकार के संगठन के हस्तक्षेप के जरिए यदि निपटान किया गया हो तो वह शेष प्राप्य को दर्शाती है।

(v) वसूल न हुई राशि निर्यात बिल के (बीजक मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं) आहरित न हुए शेष को दर्शाती है और निर्यातक द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद वह राशि बकाया बनी रही है और वसूल नहीं जा सकी है।

(vi) विधिक कार्रवाई चालू करने की लागत, निर्यात बिल की वसूल न हुई राशि के संगत नहीं होगी अथवा जहाँ निर्यातक विदेशी क्रेता के विरूद्ध न्यायिक मामला जीतने के बाद भी अपने नियंत्रण से परे कारणों से कोर्ट डिक्री निष्पादित नहीं कर सका।

(vii) साख पत्र मूल्य और वास्तविक निर्यात मूल्य के अंतर अथवा भाड़ा प्रभारों के अनंतिम और वास्तविक के बीच अंतर हेतु बिलों के आहरण किए गए थे किंतु विदेशी क्रेता से बिलों के अनादर के परिणामस्वरूप राशि वसूल नहीं हो पाई और वहाँ वसूली के कोई आसार नहीं हैं।

(डी) निर्यातक ने संबंधित पोत लदानों के संबंध में लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, के आनुपातिक अंश (22 जुलाई 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 3 द्वारा कवर न होने वाले मामलों के लिए) को लौटा/सुपुर्द कर दिया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, संबंधित बिलों को बट्टे खाते में डालने की अनुमति देने से पहले, लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों की सुपुर्दगी के दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त करें।

(ई) स्वयं बट्टे खाते डालने के मामले में, निर्यातक सनदी लेखाकार का इस आशय का एक प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत करे जिसमें पिछले कैलेण्डर वर्ष में वसूल हुई निर्यात राशि और इस वर्ष के दौरान पहले ही बट्टे खाते में डाली गयी राशि, यदि कोई हो, संबंधित जीआर/एसडीएफ नंबर, जिन्हें बट्टे खाते में डालना है, बिल नं., इनवाइस का मूल्य, निर्यातित पण्य वस्तु, निर्यातित देश के नाम

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-जीपीओ में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

का उल्लेख हो। सनदी लेखाकार के प्रमाणपत्र में यह भी दर्शाया जाए कि यदि कोई निर्यात लाभ निर्यातक द्वारा लिए गए हैं तो उन्हें सुपुर्द किया गया है।

तथापि, "बट्टे खाते में डालने" की सुविधा हेतु निम्नलिखित पात्र नहीं है:

- ऐसे बाह्य समस्याओं वाले देशों को किए गए निर्यात अर्थात विदेशी क्रेता ने जहाँ स्थानीय मुद्रा में निर्यात के मूल्य को जमा किया है किन्तु उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की अनुमति देश के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकारियों ने नहीं दी है।
- जीआर/एसडीएफ़ फार्म, जो प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आदि जैसी एजेंसियों द्वारा अन्वेषण के अधीन है, के साथ ही साथ वे बकाया बिल भी जो सिविल/आपराधिक मुकदमे के अधीन हैं।

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को पुनः यह सूचित किया गया है कि वे एक ऐसी प्रणाली अमल में लाएं जिसके तहत उनके आंतरिक निरीक्षक अथवा लेखापरीक्षक (प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त किए गए बाह्य लेखापरीक्षकों सहित) बकाया निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डालने के लिए यादृच्छिक नमूना जाँच/प्रतिशत जाँच करें।

सूचना

निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 फरवरी 2013 को ''निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने'' के लिए दिशानिर्देश अपनी वेबसाइट पर जारी किए। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) *पात्र प्रवर्तक :* निजी क्षेत्र में संस्थाएं/समूह, सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी) पूर्ण अधिकार वाली गैर-परिचालनात्मक वित्तीय धारिता कम्पनी (एनओएफएचसी) के माध्यम से बैंक स्थापित करने के लिए पात्र होंगी।

(ii) *'सही और उचित' मानदंड :* संस्थाओं/समूहों का विश्वास और सत्यनिष्ठा का पिछला रिकार्ड अच्छा होना चाहिए, पिछले 10 वर्षों का सफल ट्रैक रिकार्ड के साथ वित्तीय रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य विनियामकों और प्रवर्तन तथा जांच एजेंसियों से प्रतिसूचना प्राप्त कर सकता है।

(iii) *गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी (एनओएफएचसी) की कार्पोरेट संरचना :* एनओएफएचसी प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह द्वारा पूरी तरह से स्वाधिकृत होनी चाहिए। एनओएफएचसी की बैंक और समूह की सभी अन्य वित्तीय सेवा संस्थाओं की धारिता होनी चाहिए।

(iv) *बैंकों के लिए वोटिंग की न्यूनतम इक्विटी पूंजी आवश्यकताएं और गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी की शेयरधारिता :* बैंक के लिए वोटिंग की प्रारम्भिक न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी '5 बिलियन होगी। गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी के पास प्रारम्भ में बैंक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी के न्यूनतम 40 प्रतिशत की धारिता होनी चाहिए जिसकी पांच वर्षों की समय बंदी होगी और उसे 12 वर्षों की अवधि के अन्दर 15 प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। बैंक को अपना कारोबार शुरू करने के तीन वर्षों के अन्दर शेयर बाजारों में अपने शेयरों को सूचीबद्ध करना चाहिए।

(v) *विनियामक ढांचा :* बैंक को संबंधित अधिनियमों, संबंधित संविधि और निर्देशों, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों द्वारा जारी विवेकपूर्ण विनियमों तथा अन्य दिशानिर्देशों/अनुदेशों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक के पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अलग निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(vi) *बैंक में विदेशी शेयरधारिता :* नए बैंक में कुल अनिवासी शेयरहोल्डिंग पहले पांच वर्षों के लिए 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और इसके बाद यह वर्तमान नीति के अनुसार होगी।

(vii) *गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी का कार्पोरेट अभिशासन :* गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी के कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कार्पोरेट संरचना से रिज़र्व बैंक द्वारा समेकित आधार पर किए जाने वाले बैंक और एनओएफएचसी के प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए।

(viii) *गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी के लिए विवेकपूर्ण मानदंड :* विवेकपूर्ण मानदंड गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी पर एकल और समेकित दोनों आधारों पर लागू होंगे और ये मानदंड बैंक पर लागू मानदंडों की तरह होंगे।

(ix) *एक्सपोजर मानदंड :* गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी और बैंक का प्रवर्तन समूह में कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। बैंक को गैर-परिचालन वित्तीय धारिता कंपनी द्वारा धारित किसी भी वित्तीय संस्था की इक्विटी/ऋण पूंजी लिखतों में निवेश नहीं करना चाहिए।

(x) *बैंक के लिए कारोबारी योजना :* कारोबारी योजना वास्तविक और अर्थक्षम होनी चाहिए तथा इसके द्वारा वित्तीय समावेशन हासिल करने के बैंक के प्रस्तावों का समाधान होना चाहिए।

(xi) *बैंक के लिए अन्य शर्तें :*

- बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा।
- बैंक को कम से कम अपनी 25 प्रतिशत शाखाएं बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (वर्तमान जनगणना के अनुसार 9999 की आबादी तक) में खोलनी होगी।
- बैंक वर्तमान घरेलू बैंकों पर यथा लागू प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्यों और उप लक्ष्यों का अनुपालन करेगा।
- गैर-वित्तीय कारोबार से प्राप्त 40 प्रतिशत या इससे अधिक आस्ति/आय वाले समूहों द्वारा प्रवर्तित बैंकों को 5 बिलियन रुपये के प्रत्येक ब्लॉक के लिए 10 बिलियन से अधिक की चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी एकत्र करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी।
- शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर बैंक के लाइसेंस के रद्द करने सहित दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।

(xii) *गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक के रूप मे प्रवर्तित करने/परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त शर्तें :* विद्यमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां, यदि पात्र समझी जाती है, तो उन्हें एक नए बैंक को प्रवर्तित करने अथवा स्वयं को बैंक के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दी जा सकती है।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।